

प्रपत्र-46

परियोजना का नाम:- मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणा संख्या 902/2017 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दोबाट रॉथी हल्का वाहन मार्ग का विस्तारीकरण निर्माण कार्य । (लम्बाई 0.000 से 7.075 किमी0)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

ह0/

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/

प्रयोक्ता एजेन्सी

Signature
JE

Signature
महायुक्त अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
धारचूला (अस रोड)

Signature
अतिरिक्त अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0वि0वि
असरोट (पिथौरागढ़)

Signature
क.ए.

Signature
वन क्षेत्राधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग